

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई/ग्रुप-1/05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० कृष्ण गोपाल शर्मा, जिनकी जन्मतिथि 28-3-1977 है एवं मेरिट क्रमांक एम-04/सामान्य है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ० शर्मा का पदस्थापन मेडिकल कालेज, उदयपुर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक / क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,

(हरी बाबू शर्मा)

शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को एफ 7(14)भर्ती/गोपनीय/2010-11/103 दिनांक 30.05.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर।
6. डॉ० कृष्ण गोपाल शर्मा, 41, अग्रसेन विहार कॉलोनी, नये पुलिस थाने के पीछे, झालावाड़-326001 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई/ग्रुप-1/05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ नवनीत पाराशर, जिनकी जन्मतिथि 06-1-1980 है एवं मेरिट क्रमांक एम-05/सामान्य है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन शृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ 0 पाराशर का पदस्थापन मेडिकल कालेज, कोटा में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक / क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,


(हरी बाबू शर्मा)
शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(14)भर्ती/गोपनीय/2010-11/103 दिनांक 30.05.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा।
6. डॉ 0 नवनीत पाराशर, KR 227/3, ए.बी.एस. हॉस्पीटल केम्पस, कॉटेज वार्ड के पीछे, नयापुरा कोटा। (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई/ग्रुप-1/05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० भूपेन्द्र शर्मा, जिनकी जन्मतिथि 06-5-1969 है एवं मेरिट संख्या एम-13/सामान्य है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन शृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ० शर्मा का पदस्थापन मेडिकल कालेज, बीकानेर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।


उपरोक्त नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से बार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,




(हरी बाबू शर्मा)

उप शासन सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(14)भर्ती/गोपनीय/2010-11/ 103 दिनांक 30.05.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बीकानेर।
6. डॉ० भूपेन्द्र शर्मा C/o जस्टिस श्री शशिकान्त शर्मा, 51 श्रीरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई / ग्रुप-1 / 05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० अनिल कुमार शर्मा, जिनकी जन्मतिथि 16-10-1981 है एवं मेरिट संख्या एम-16/सामान्य है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20,200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ० शर्मा का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,

(हरी बाबू शर्मा)

शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(14)भर्ती.ख/ 2010-11/759 दिनांक 17.06.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
6. डॉ० अनिल कुमार शर्मा, 179-श्रीगोपाल नगर, गणेश मार्ग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.)-302019 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई / ग्रुप-1 / 05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० रितेश कुमार पाठक, जिनकी जन्मतिथि 10-8-1978 है एवं मेरिट संख्या एम-21/सामान्य है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन शृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20,200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ० पाठक का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकंडरी रकूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपरिथित प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,

(हरी बाबू शर्मा)

शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(14)भर्ती "ख" / 2010-11 / 769 दिनांक 05.7.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. डॉ० रितेश कुमार पाठक, 95-ए, पदमावती कॉलोनी, निर्माण नगर, जयपुर (राज.)-302019 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई/ ग्रुप-1/05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० फारुक खान, जिनकी जन्मतिथि 12-10-1978 है एवं मेरिट संख्या एम-22/सामान्य है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20,200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ० खान का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,


(हरी बाबू शर्मा)
शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(14)भर्ती "ख" / 2010-11/759 दिनांक 17.6.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. डॉ० फारुक खान, वार्ड नं-27, न्यू स्टेशन रोड, लुहारों का मौहल्ला, फतेहपुर शेखावठी, सीकर (राज.) (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई / ग्रुप-1/05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० धर्मन्द्र कुमार जांगिड़, जिनकी जन्मतिथि 23-9-1976 है तथा मेरिट क्रमांक एम-23/अपिजा है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ० जांगिड़ का पदस्थापन मेडिकल कालेज, बीकानेर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपरिथित प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,


(हरी बाबू शर्मा)
शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(14)भर्ती "ख" / 2010-11 / 759 दिनांक 17.6.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बीकानेर।
6. डॉ० धर्मन्द्र कुमार जांगिड़ C/o श्री बी.एल. जांगिड़, प्लॉट नं. ई-161, बैंक कॉलोनी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर (राज.)-302039 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई / ग्रुप-1 / 05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० अंजू नागर, जिनकी जन्मतिथि 11-10-1975 है तथा मेरिट क्रमांक एम-26/सामान्य (महिला) है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन शृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अरथात् रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ० नागर का पदस्थापन मेडिकल कालेज, कोटा में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक / क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,


(हरी बाबू शर्मा)
शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(14)भर्ती "ख" / 2010-11 / 759 दिनांक 17.6.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा।
6. डॉ० अंजू नागर, मकान नं.-117, आदित्य आवास, बजरंग नगर, पुलिस लाईन, कोटा (राज.) (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई / ग्रुप-1 / 05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० भैरू सिंह हरियावत, जिनकी जन्मतिथि 12-12-1976 है तथा मेरिट क्रमांक एम-31/अजा है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन शृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ० हरियावत का पदस्थापन मेडिकल कालेज, उदयपुर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक / क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,

(हरी बाबू शर्मा)
शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को एफ 7(14)भर्ती/गोपनीय/2010-11/103 दिनांक 30.05.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर।
6. डॉ० भैरू सिंह हरियावत, 536, उत्तरी आयड, पीपल चौक, गिर्वा तहसील, उदयपुर (राज.)-313001 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई/ग्रुप-1/05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० दिनेश कुमार भारती, जिनकी जन्मतिथि ०१-६-१९८० है तथा मेरिट क्रमांक एम-३५/अजा है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन शृंखला १५६००-३९१०० (ग्रेड पे-६६००) में अरथायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ १(२)एफडी/रूल्स/०६ दिनांक १३-०३-२००६ के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ० भारती का पदस्थापन मेडिकल कालेज, अजमेर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, १९६२ की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-२) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. ८(१)कार्मिक/ क-२/२००३ दिनांक ६.९.२००३ व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.१५(७)वित्त/नियम/९७ दिनांक १४.१.२००४ एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक १३(१) वित्त/नियम/२००४ दिनांक २७.३.३००४ के अनुसार अंशादायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. ६(५) वित्त/नियम/२००४ दिनांक २७.७.२००४ के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक र्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,

(हरी बाबू शर्मा)

शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को एफ ७(१४)भर्ती/गोपनीय/२०१०-११/१०३ दिनांक ३०.०५.२०१३ के क्रम में।
- अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
- डॉ० दिनेश कुमार भारती C/o श्री मोहन लाल नागर, ११७-बी, श्री कल्याण नगर, महेश नगर के पास, करतारपुरा, जयपुर-३०२०१५ (राज.) (रजिस्टर्ड डाक से)।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई / ग्रुप-1 / 05

जयपुर, दिनांक : 30.9.2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० मनोज कुमार, जिनकी जन्मतिथि 22-7-1980 है तथा मेरिट क्रमांक एम-37/अजा है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन शृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-6600) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रुल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ० मनोज का पदस्थापन मैडिकल कालेज, जयपुर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आज्ञा से,


(हरी बाबू शर्मा)
शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को एफ 7(14)भर्ती/गोपनीय/2010-11/103 दिनांक 30.05.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मैडिकल कालेज, जयपुर।
6. डॉ० मनोज कुमार, बाबा नारायणदास राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजीतगढ़, जिला-सीकर (राज.)-332701 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव